1.	योजना का नाम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
2.	योजना का सक्षिप्त परिचय	1. सामाजिक एकजुटता व संस्थागत विकास राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के इस घटक के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (SHGs) बनाये जायेंगें। स्वय सहायता समूहो का गठन Resource organizations (NGOs) के माध्यम से किया जावेगा। 2. कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार . कौशल प्रशिक्षण व प्लेसमेट द्वारा रोजगार का मुख्य उददेश्य शहरी BPL परिवार के सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण दिलवाया जाकर उसको रोजगार व स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना है। इस घटक का क्रियान्वयन राजस्थान राज्य आजीविका तथा कौशल विकास निगम (RSLDC) के माध्यम से किया जा रहा है। 3. स्वरोजगार योजना अन्तर्गत एकल व समूह उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में आर्थिक सहयोग का प्रावधान है। व्यक्तिगत उद्यम (रूपये 2 लाख) एवं समूह उद्यम (10 लाख रूपये) अधिकतम ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर देय होगी। शेष ब्याज का वहन योजनान्तर्गत किया जायेगा। 4. शहरी पथ विक्रेताओ को सहयोग इस घटक का उददेश्य शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं (Street Vendors) की आजीविका तथा समस्याओं का समाधान तथा शहरों का सुनियोजित विकास है। पथ विक्रेताओं का सर्वे व पंजीयन कर पहचान पत्र जारी करना। 5. आवासविहीन लोगो हेतू आश्रय स्थल इस घटक के अन्तर्गत एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में 24 x 7 सामुदायिक आश्रय भवनों का निर्माण कर आश्रयविहीन लोगों हेतु अस्थायी आश्रय स्थल व मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, भोजन, स्वास्थ्य संबंधी सेवायें) उपलब्ध कराना।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1 अप्रैल 2014
4.	लाभान्वित वर्ग	बी पी एल परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी, शहरी गरीब जिनकी आय 1 लाख सालाना से कम हो।
5.	देय सुविधाए	कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार हेतु ऋृण, स्वय सहायता समुहो द्वारा आर्थिक उन्नयन, आवासविहीन लोगो हेतु स्थायी आश्रय स्थल मय आधारभुत सुविधा, पथ विक्रेताओ का पुर्नवास कर स्थायी स्थान उपलब्ध कराना
6.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित नगर निकाय में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में भरकर आवेदन करे
7.	आवेदन कंहा किया जाये	सम्बन्धित नगर निकाय के कार्यालय में
8.	आवेदन के साथ औपचारिकताए	निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, बी पी एल कार्ड/आस्था कार्ड /अन्त्योदय कार्ड /आय प्रमाण पत्र/आदि
9.	सम्पर्क सुत्र	सम्बन्धित नगर निगम/ नगर परिषद् के सक्षम अधिकारी
10.	आनलाईन वेबसाइट का पता	**lsg.urban.rajasthan.GOV.IN**